न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ दिनांक

अनवान :—

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
गोमाराम	बनाम	लाखाराम वगैरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम</u>
<u>वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।</u>

राजस्व आवेदन सं. **71/2023** दिनांक 05.06.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र पोकरासर के मौजा धीरासर के खेत खसरा सं. 471/401, 472/401 रकबा क्रमशः 04.0873, 03.9821 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2025/ 885 to 888 दिनांक 05/06/25

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी गोमाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण लाखाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/धोरीमन्ना/...ड/सेडवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.24 17:27:42 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन